


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण नम्बर 1357-दो / 15

जिला—रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-15	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.पी.धाकड़., अभि. उप.। उन्हें रेस्टोरेशन आवेदन पर सुना गया। आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरान्त प्रकरण में अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्णस्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	



न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क.७६/ / 2015 रेस्टो.

क्रमांक ०१३५७-८-१५

श्रीमती सर्वदा खातून पुत्री असफाक अली
पत्नी हैदरअब्बास जैदी निवासी ग्राम
बिछिया तह. हुजूर जिला रीवा म.प्र.

— आवेदिका

विरुद्ध

म.प्र. शासन

— अनावेदक

श्री पुत्र की पत्नी को
द्वारा आज दि. ०२/०६/१५ को
प्रस्तुत
[Signature]
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

संहिता की धारा 35(3) के अधीन आवेदन पत्र वास्ते मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने बावत

मान्यवर,

आवेदिका की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी प्रस्तुत की है। उक्त निगरानी में पेशी दिनांक 29.05.2015 में नियत थी। आवेदिका के अभिभाषक ग्वालियर से बाहर रिस्तेदारी में गमी होने के कारण बाहर गये थे। जिसके लिये सहयोगी अभिभाषक श्री डी.एस चौहान को दूर भाष पर अवगत कराया कि मेरे प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में नियत है। उन्हें अवगत करा देना कि नियत पेशी पर उपस्थित नहीं हो सकता। फिर भी माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थिती मानकर संहिता की धारा 35(2) अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है।
2. यह कि, प्रकरण को अनुपस्थिती के कारण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया है। परन्तु अभिभाषक की त्रुटि नहीं मान सकते हैं क्यों कि, प्रकरण में आवेदिका अभिभाषक द्वारा रिस्तेदारी में गमी हो जाने के कारण अचानक जाना पड़ा जिसकी सूचना माननीय न्यायालय को अपने साथी अभिभाषक श्री डी.एस. चौहान के माध्यम से भिजबादी गई है। फिर भी मान न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को अभिभाषक की अनुपस्थित के कारण निरस्त करने में महान वैधानिक भूल की है। इस कारण उक्त आवेदन पत्र समय सीमा में होने से मूल प्रकरण पुनः नं. पर लिया जाना न्यूनोचित होगा।
3. यह कि, आवेदिका को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए अभिभाषक की अनुपस्थिती के कारण प्रकरण अदम पैरवी में संहिता की धारा 35 (2) के अधीन निरस्त कर दिया गया है। इस कारण प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर पारित किया जाना उचित है।
4. यह कि, आलौच्य आदेश दिनांक 29.05.2015 की जानकारी सर्वप्रथम साथी अभिभाषक से दिनांक 30.05.2015 प्राप्त की कि, प्रकरण में आदेश हो चुका है। इस कारण आवेदन पत्र सद्भाविक होने से ग्राहय योग्य हैं।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि, प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करते हुए अदम पैरवी में पारित आदेश दिनांक 29.05.2015 निरस्त करते हुए मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाकरण प्रकरण का निराकरण गुण दोषों पर पारित करने की कृपा करें।